237

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर कैम्प सागर

R 4354-I-16

किशोर सिंह उर्फ बी.पी. सिंह तनय श्री बारेलाल सिंह
निवासी ग्राम ललगुवॉ तहसील राजनगर,
जिला छतरपुर म.प्र.

.......आवेदक

//विरूद्ध/

म.प्र.शासन

.........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय तहसीलदार राजनगर के प्रकरण क्र. 123/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दि. 30–11–2016 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि तहसीलदार राजनगर जिन्हें आगे अब अधीनस्थ न्यायालय के नाम से जाना जायेगा के समक्ष ग्राम ललगुवॉ की भूमि खसरा नंबर 53/1, 54/1, 55, रकवा क्रमशः 1.465, 3.460, 0.263 हे0 का खाता मृतक छन्नूलाल सिंह तनय श्री बारेलाल के नाम दर्ज होने तथा उनके द्वारा अपने जीवनकाल में निगरानीकर्ता के पक्ष में वससयीत दिनांक 07.08.2006 निष्पादित किए जाने के कारण आवेदित भूमि पर आवेदक मृतक छन्नूलाल के जीवनकाल से ही काबिज होने के तथ्यों का वर्णन करते हुए नामांतरण किए जाने हेतु आवेदक योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसका विधिवत इश्तहार का प्रकाशन कराया गया जिसकी एक प्रति तहसील में स्थित नोटिस बोर्ड पर चश्पा कराई गई थी तथा इश्तहार बाद तामिल वापिस प्राप्त हुआ था जिस दौरान किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई थी।

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती दीप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी टौरिया, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582–244803

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 4354-पी/16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.12.16	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित, उनके तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 123/अ—6/2014—15 में पारित आदेश दि. 30—11—2006 के विरूद्व म०प्र० भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर से अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा है कि ग्राम ललगुवॉ तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र. भूमि खसरा नंबर 53/1, 54/1, 55, रकवा क्रमशः 1.465, 3.460, 0.263 हे0 कुल रकवा 5.188 में से मृतक खातेदार छन्नूसिंह तनय श्री बारेलाल के द्वारा आवेदक किशोरसिंह उर्फ बी.पी. सिंह तनय श्री बारेलाल के पक्ष में दिनांक 07.08.2006 को वसीयत निष्पादित कराई गई थी और उसकी मृत्यु दिनांक 29.12.2006 को हो जाने के कारण आवेदक द्वारा नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन तहसीलदार राजनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे प्रकरण कमांक 123/अ—6/2014—15 में दर्ज किया जाकर इश्तहार का प्रकाशन कराया गया उस दौरान अनावेदक मलखान सिंह द्वारा वारसान नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि वसीयत के आधार पर नामांतरण न किया जाकर मृतक खातेदार आवेदक व अनावेदक का नाम भाई होने से वारसान नामांतरण के आधार पर नामांतरण किया जावे परंतु तहसीलदार द्वारा बिना कोई मौखिक साक्ष्य लिए साक्ष्य के अभाव में वारसान नामांतरण दिनांक 30.11.2016 के माध्यम से किए जाने का आदेश दिया गये है इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है। 3— मैने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के प्ररिप्रेक्ष्य में निगरानी के साथ संपूर्ण आदेश पत्रिकाओं एवं संलग्न अभिलेख का	

[क्र. प. उ.

R. 4354-I/16 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अवलोकन किया जिसमें यह विदित है कि तहसीलदार राजनगर द्वारा आवेदक के मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य न लेते हुए प्रकरण में प्रचलनशीलता पर तर्क श्रवण किए गए थे जबकि तहसीलदार राजनगर द्वारा अंतिम आदेश दिनांक 30.11.2016 के माध्यम से मृतक छन्नूसिंह की भूमि हिस्सा 1/3 का नामांतरण समान रूप से किए जाने का आदेश दिया गया है जबकि वसयीत जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के विरूद्ध तब तक आदेश पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि वसीयत को संदेह से परे साबित करने का अवसर बसीयतग्रंहीता न दे दिया गया हो जबकि संलग्न दस्तावेजों से यह प्रकट है कि मृतक खातेदार आवेदक का सगा भाई होने तथा वह अविवाहित होने के कारण उसके साथ आजीवन निवासरत होने से उसके द्वारा अपने हिस्से की भूमि का वसीयत आवेदक के नाम से दिनांक 07.08.2006 को लेख कराई गई और जिसका परिषद द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया है जिससे प्रमाणित है कि मृतक खातेदार छन्नूसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में आवेदक के पक्ष में दि. 07.08.2006 को नोटिरियल वसीयत निष्पादित की गई है जिसके आधार पर आवेदक नामांतरण का अधिकारी है इस कारण पारित तहसीलदार राजनगर द्वारा पारित आदेश वैद्य नहीं पाता हूँ। 4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तहसीलदार राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2016 निरस्त किया जाता है तथा उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि मृतक खातेदार छन्नूसिंह के हिस्सा 1/3 की भूमि खसरा नंबर 53/1, 54/1, 55 को आवेदक के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जाए। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	